रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई. टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

क्रमांक एफ.2(662)डीओआईटी/संस्था/07/48354 जयपुर, दिनांकः 15–12–2011

आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभिशंसा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को ''**सूचना सहायक**'' के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप अस्थाई आधार पर सूचना सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 7900/– प्रतिमाह (Fixed remuneration to Probationer Trainees) पर उनके सम्मुख अंकित निम्न विभाग/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधोलिखित शर्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र सं	योग्यता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	नवपदस्थापन विभाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	58	श्री हुकम चंद मीना पुत्र श्री बद्रीलाल मीना	07/07/1981	ST	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर (प्रोग्रामर के रिक्त पद के विरूद्ध)

1. उक्त नियुक्ति आदेश एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 7334/2009 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.6.2009 के अध्यधीन रहेंगे।
2. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यभार सम्भालना होगा अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएंगे।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि उपरोक्त अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का किराया–भाड़ा या भत्ता आदि देय नहीं होगा।
5. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही ''सूचना सहायक'' की वेतन श्रृंखला (पी.बी–1) 5200–20200 (ग्रेड पे नं. 9) ग्रेड पे–2400 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
6. अभ्यर्थी को उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिमवार शिक्षा पाई थी, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावें। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति इस विभाग को भेजें।
8. परीवीक्षाधीन अभ्यर्थियों केवल ऊपर अंकित नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे तथा वह अन्य भत्तें जैसे विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किरया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे।
10. सेवा के दौरान राजकीय यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण की स्थिति में केवल माईलेज, विविध खर्च नियम पारिश्रमिक ही देय होगा तथा स्थानान्तरण की स्थिति में सिर्फ वास्तविक यात्रा काल ही सेवा अवधि के लिये मान्य है।
11. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिन का अकास्मिक अवकाश देय होगा और कलेण्डर वर्ष से कम अवधि में पूर्ण वर्ष के सेवा माह की अवधि के अनुपात से अकास्मिक अवकाश देय होंगे।
12. यदि सरकार की राय में उपरोक्त सूचना सहायकों का कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनके एक दक्ष सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से तुरन्त विमुक्त कर दिया जायेगा।
13. उक्त नियुक्ति आदेश अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फा. ट्रैक), बॉदीकुई, मुख्यालय–दौसा, कैम्प लालसौट, जिला दौसा (राज.) के सैशन प्रकरण संख्या 24/2010 के निर्णय दिनांक 25.8.2011 के क्रम में श्री हुकम चंद मीना पुत्र श्री बद्रीलाल मीना को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप जारी किये जा रहे है। इस निर्णय के विरूद्ध अपील किये जाने पर उक्त नियुक्ति अपील में न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रभारी मंत्री महोदय (माननीय मुख्यमंत्री महोदय), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
7. संबंधित विभागाध्यक्ष (____________________________________) को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसे कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करावें।
8. अतिरिक्त निदेशक (संस्थापन), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
9. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट (प्रशिक्षण), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी (वेबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर। यह आदेश इस विभाग की वेबसाईट http://www.doitc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
12. संबंधित कर्मचारी को पंजीकृत डाक द्वारा पालनार्थ।
13. संबंधित निजी पत्रावली।
14. लेखा शाखा (मय अतिरिक्त प्रति के)।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त